MPOnline Limited

कियोस्क आवंटन संबंधी मापदण्ड एवं आवश्यक जानकारी

- एमपीऑनलाइन **www.mponline.gov.in** का कियोस्क स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन फार्म भरना अनिवार्य है। कियोस्क लेने के इच्छुक आवेदक अपनी समस्त जानकारी ऑनलाइन कियोस्क पंजीयन फार्म में मूल दस्तावेज अनुसार सही-सही भरें।
- कियोस्क आवेदन फार्म में गलत एवं अधूरी जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये एवं कम्प्यूटर का प्राथमिक ज्ञान सहित हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में पारंगत होना अनिवार्य है।
- कियोस्क स्थापना के लिए 10x10 वर्गफीट आकार की दुकान/आफिस/इंटरनेट कैफे में कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, वेबकैमरा एवं इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप के साथ कम्प्यूटर सेटअप होना अनिवार्य है। उत्कृष्ट कम्प्यूटर सेटअप वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। साथ ही दुकान/आफिस/इंटरनेट कैफे में नागरिकों को बैठने एवं पेयजल व्यवस्था भी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की दुकान/आफिस/इंटरनेट कैफे तथा उस क्षेत्र में पहले से स्थापित एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के बीच सामान्यतः 200 मीटर की दूरी होना चाहिये, परंतु पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं में हो रही वृद्धि एवं हाईफुटफाल वाले क्षेत्रों में नागरिकों की बढ़ती संख्या के आधार पर एमपीऑनलाइन द्वारा दूरी शिथिल की जा सकती है, जिसका अंतिम निर्णय एमपीऑनलाइन द्वारा किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा अपने फार्म की स्थिति फार्म में भरे गये ईमेल पर देखी जा सकती है।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन फार्म में दर्ज जानकारी का उसके मूल दस्तावेजों से मिलान किया जावेगा।

आवेदक को सत्यापन के समय निम्न मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य हैः

1. आवेदक द्वारा भरा गया कियोस्क आवेदन फार्म।
2. दुकान, आफिस, इंटरनेट कैफे के 4 अलग-अलग फोटो (2 अंदर के फोटो जिसमें पूरा सेटअप स्पष्ट दिखाई दें एवं 2 बाहर से खींचे गये फोटो जिसमें दुकान के आजू-बाजू का क्षेत्र दिखाई दें),
3. दुकान, संस्था का स्थापना का पंजीयन (गुमाश्ता) प्रमाण पत्र।
4. आवेदक का 1 फोटो।
5. आवेदक का पैन कार्ड।
6. आवेदक के घर एवं दुकान का एड्रेस प्रूफ।
7. आवेदक की मार्कशीट (कम से कम 10वीं कक्षा पास की मार्कशीट)
8. पहले से स्थापित कियोस्क एवं आवेदक की दुकान के बीच की दूरी का मान्यता प्राप्त इंजीनियर से प्रमाणित रोडमैप, जिसमें इंजीनियर के सील एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
9. आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एकाउंट होने के साथ ही नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है।

   एमपीऑनलाइन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सभी मापदण्ड तथा शर्तें पूर्ण करने पर ही कियोस्क आवंटन पर विचार किया जावेगा।

ध्यान रखें आवेदक के पास उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज के न होने पर कियोस्क आवंटित नहीं किया जावेगा और आवेदन निरस्त माना जावेगा। जिसकी जवाबदारी आवेदक की होगी।

- दस्तावेजों के सफल सत्यापन उपरांत आवेदक एवं एमपीऑनलाइन के बीच 100 रुपये मूल्य के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जावेगा। साथ ही अनुबंध के समय आवेदक को 100 रुपये मूल्य के अन्य स्टाम्प पर वचन पत्र भी देना होगा।
- कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदक को कियोस्क पंजीयन शुल्क की राशि **रुपये 6742** (**Non Refundable**) का भुगतान नेटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। (किसी भी दशा में पंजीयन शुल्क की राशि का डीडी स्वीकार नहीं किया जावेगा)
- पंजीयन शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदक को पंजीकृत ईमेल पर कियोस्क लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।

- अनुबंध के उपरांत कियोस्क का संचालन निर्धारित स्थान से करना अनिवार्य होगा एवं पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाएं नागरिकों को प्रदान किया जाना अत्यावश्यक है।
- कियोस्क संचालक को प्रतिमाह 200 ट्रांजेक्शन (वार्षिक 2400 ट्रांजेक्शन) करना अनिवार्य है।
- कियोस्क संचालक द्वारा 3 माह तक निर्धारित लक्ष्य से कम ट्रांजेक्शन करने पर उस कियोस्क के नजदीक दूसरा कियोस्क स्थापित कर दिया जावेगा।
- अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा, संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर ही अनुबंध का नवीनीकरण किया जावेगा।
- यदि किसी आवेदक के विरुद्ध गलत दस्तावेजों के आधार कियोस्क प्राप्त करने की जानकारी मिलती है तो उक्त कियोस्क की नागरिक सेवाएं बंद करने अथवा अनुबंध रद्द करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- कियोस्क संचालक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं प्रदान करने पर नागरिकों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लिये जाने पर संबंधित कियोस्क के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी।
- कियोस्क संचालक को एमपीऑनलाइन के मापदंड अनुसार अधिकृत बोर्ड तथा कियोस्क सर्टिफिकेट लगाना अतिआवश्यक है।
- यदि कियोस्क संचालक संतोषजनक नागरिक सेवाएं प्रदान नहीं करता है या सुविधा का दुरूपयोग करता है तो उसका अनुबंध निरस्त करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- कियोस्क आवंटन करने या आवेदन निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- एमपीऑनलाइन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कियोस्क आवंटन मापदंड में परिवर्तन किया जा सकता है।

एमपीऑनलाइन लिमिटेड,

द्वितीय तल, निरूपम शापिंग मॉल, अहमदपुर,

होशंगाबाद रोड, भोपाल (मप्र) 462026

दूरभाष (0755) 4019400

MPOnline Limited

Instructions and Rules For KIOSK Allotment

- In order to establish a KIOSK, the applicant have to register himself on the MPOnline portal. For registration visit the link: **www.mponline.gov.in** -> click on KISOK -> KIOSK Registration. Fill the registration form as per the original documents available.
- The applicant should be minimum 10th pass, with basic computer knowledge. Should be proficient in Hindi & English typing.
- To establish a KIOSK the shop/office/internet café should be of minimum 10X10 sq ft. It should have a computer, printer, scanner, web camera and an internet connection with proper power backup facility. A proper seating arrangement for the citizen with water facility is mandatory. The applicant with all the required equipment and with excellent setup will be given priority.
- The applicant's shop/office/internet café should be at least 200 meter away from the existing MPOnline Kiosk. But considering the increasing number of services provided through our portal and locations with high footfall MPOnline can consider leverage in the aforesaid condition. Final decision would be made by MPOnline Ltd.
- Incomplete and in appropriate Application will be rejected
- Applicant can view the status of their application on the email id given by them in the application form.
- Application form will be scrutinized with the original documents submitted by the applicant

The Applicant will have to carry the following documents during verification in Person

10. The printout of the registration form filled online.
11. Four (4) different Photographs of the shop/office/internet café (2 photograph of the interior with proper display of the facilities inside and 2 photographs of the outside displaying the shop and the nearby area..
12. Incorporation certificate (Gumashta) of the shop/establishment.
13. One photograph of the applicant.
14. PAN Card of the applicant
15. Applicant Address proof of the house and shop
16. Applicants Marksheet (atleast 10th Pass is mandatory)
17. Road Map displaying the difference between the existing MPOnline KIOSK, duly certified by and engineer.
18. The Applicant should have a current account either in State Bank of India (SBI) or Union Bank of India (UBI) with mandatory internet banking facility.
19. After proper verification of the documents, if the applicant qualifies all the required criteria MPOnline can consider for the allotment of KIOSK.

PLEASE NOTE, in the absence of any document or any incomplete application will be rejected and ALLOTMENT will NOT BE DONE. The responsibility of the documents provided is solely in the hands of the applicant.

- Application complete in all aspect will only be considered for allotment
- On complete verification an agreement will be signed between the applicant and MPOnline Ltd. on Non judicial stamp paper of Rs.100. He also has to submit a letter of commitment on a separate Rs.100 stamp paper.
- On completion of the agreement the applicant have to submit the registration fee Rs. 6742/- (Non Refundable) ONLINE through NETBANKING. No Demand Draft will be accepted towards registration fee.

- Once the payment is made the applicant will receive the KIOSK LOGIN ID and the PASSWORD on the registered email id.
- MPOnline Ltd. holds the sole right to allot or reject an application.
- After allotment of the KIOSK it is Mandatory for the KIOSK to be run from the allotted establishment ONLY and provide all the services available on the portal. Else his registration will be cancelled.
- It is mandatory to have 200 transactions per month (2400 transactions in a year)
- If any of the KIOSK has not achieved the given target in a span of 3months, a new KIOSK will be allotted at the nearby area.
- The agreement is valid for ONE YEAR. On completion of one year and if the KIOSK has performed satisfactorily only then will the KIOSK be renewed
- If found, that the KIOSK has been set up with incorrect information, MPOnline Ltd. holds the right to cancel all the citizen services of the said KIOSK.
- The KISOK will collect only the listed amount as fees for the services from the citizen. If found, that the KIOSK is charging over and above the required fees, strict action will be taken against the KISOK.
- It is mandatory for the KIOSK to have a proper display board as per the specified criteria and also to display the KISOK Certificate.
- MPOnline Ltd. holds the right to cancel the KIOSK registration if found that they are not providing satisfactory service to the citizen or misusing the facility.

MPOnline Ltd. can change the rules and regulation for allotment of KIOSK from any time.

MPOnline Limited

2nd Floor, Nirupam Shopping Mall

Ahmadpur, Hoshangabad Road, Bhopal 462026

Phone-0755-4019400